न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 17/2023

प्रार्थी

(1) श्रीमती गणेशकुंवर पत्नी स्व. देवीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(2) गणपतसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(3) रणजीतसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(4) दिलीपसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) श्रीमती भंवरकुंवर पुत्री स्व. रसालकुंवर पत्नी गिरवरसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– केराल, हाल निवासी– रडमलिया थामला, तहसील– मावली, जिला–उदयपुर
(2) श्रीमती रतनकुंवर पुत्री स्व. रसालकुंवर पत्नी संग्रामसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल, हाल निवासी– खारण्डीया, तहसील– राजसमन्द, जिला– राजसमन्द
(3) श्रीमती कृष्णाकुंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जी देवड़ा, जाति–राजपूत, निवासी–लखमावा बड़ा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्याः 1 से 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 29 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी [illegible] के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र एवं विधिक [illegible] R [illegible] 2018(1) पेज 601 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित [illegible] कि प्रार्थी अपीलार्थी ने

...[illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूर्ण आशा है। यह कि ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 155/2 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा (2.8004 हेक्टेयर) व खसरा संख्या 157 रकबा 0.08 (0.0647 हेक्टेयर) कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलार्थी संख्या–1 की सास एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 4 की दादी श्रीमती रसालकुंवर पत्नी मोतीसिंह जी राजपूत के कब्जे खातेदारी की स्वअर्जित कृषि भूमि रही है। ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 156 रकबा 0.10 बीघा (0.0809 हेक्टेयर) भूमि में अपीलार्थी संख्या–1 की सास एवं अपीलार्थी संख्या 2 से 4 की दादी श्रीमती रसालकुंवर पत्नी मोतीसिंह जी राजपूत का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा रहा है तथा शेष 1/2 खातेदारी हक हिस्सा श्रीमती कृष्णाकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह देवड़ा, निवासी– केराल के खातेदारी का है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की तत्कालीन खातेदार श्रीमती रसालकुंवर ने उसके जीवनकाल में अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अपीलार्थी संख्या 2 से 4 के पिता देवीसिंह जी के हक में उक्त वर्णित भूमि का अन्तिम वसीयतनामा दिनांक 09.6.2005 को निष्पादित किया है एवं उक्त वसीयतनामें को उप पंजीयक कार्यालय, शिवगंज से पंजीकृत करवाया है। यह कि श्रीमती रसाल कुंवर का देहान्त दिनांक 18.3.2018 को हुआ है। उक्त श्रीमती रसालकुंवर के देहान्त होने के बाद अपीलार्थीगण उक्त कृषि भूमि के खातेदार पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 09.6.2005 से बने है एवं उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में बतौर खातेदार कृषक है। यह कि श्रीमती रसालकुंवर के स्वर्गीय देवीसिंह के अलावा दो पुत्रियां क्रमशः भंवरकुंवर एवं रतनकुंवर है। श्रीमती रसालकुंवर द्वारा देवीसिंह जी के हक में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किये जाने से श्रीमती रसालकुंवर की पुत्रियों क्रमशः भंवरकुंवर एवं रतनकुंवर का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का खातेदारी हक, स्वत्व, रस निहित नही होता है। रसालकुंवर की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण के अलावा उक्त कृषि भूमि का कोई खातेदार नही है। यह कि रसालकुंवर की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 के द्वारा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रुप से दर्ज किया है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों का यह दायित्व था कि उक्त कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर देवीसिंह के वारिसान अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण दायर करते, लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने ऐसा नही करके कानूनन त्रृटि की है। उक्त कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के किसी प्रकार के खातेदार हक अधिकार नही रहे है एवं न ही कभी भी कब्जा आधिपत्य रहा है। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण एवं अपीलार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी देवीसिंह जी का ही कब्जा आधिपत्य रहा है। यह कि प्रत्यर्थी भंवरकुंवर ने अपीलार्थीगण व अन्य के विरुद्ध वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें वाद संख्या 04/2022 है, जो श्रीमती रसालकुंवर द्वारा निष्पादित किये गये वसीयतनामें को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी भंवरकुंवर ने वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज में प्रस्तुत उक्त वाद को स्वेच्छा से विड्रो किया है जिससे भंवरकुंवर द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद संख्या 4/2022 को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज ने दिनांक 30.5.2023 को खारिज किया है। इस प्रकार, श्रीमती रसालकुंवर द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 09.6.2005 की पुष्टि हो गई है तथा [illegible] होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को श्रीमती रसालकुंवर द्वारा देवीसिंह जी [illegible] निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 09.6.2005 से किसी प्रकार की [illegible] यह कि वरिष्ठ सिविल न्यायालय,

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

शिवगंज द्वारा उक्त वाद संख्या 4/2022 को दिनांक 30.5.2023 को खारिज किये जाने के आदेश से अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का विधि में अधिकार उत्पन्न हुआ है एवं दिनांक 30.5.2023 से अपीलार्थीगण ने अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थीगण की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को माफ किया जाना न्यायसंगत है। यदि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन नही किया जाता है तो अपीलार्थीगण के साथ अन्याय होगा। अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी नेकनियति व सद्भाविक रुप से हुई है। अपीलार्थीगण गरीब काश्तकारी है। अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करवोन हेतु आवश्यक कागजात तैयार करवाने में नेकनियति व सद्भाविक रुप से समय लगा है। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण का का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद समाहित करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 की जानकारी प्रारम्भ से ही है। प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 की जानकारी कब हुई? इसका उल्लेख प्रार्थीगण ने जानबूझ प्रार्थना पत्र में नही किया है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का अपने आप को खातेदार कृषक बताते हुए सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज के न्यायालय में दिनांक 27.2.2019 को वाद प्रस्तुत किया था जिसके नोटिस अपीलान्ट को तामिल हुए थे और वे दिनांक 28.3.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए तब भी प्रार्थीगण को नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण ने उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नही की। विधि में नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार जानकारी तिथि से पैदा होता है, जबकि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जानकारी होने के कथन का जानबूझ कर छुपाया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने दिनांक 18.5.2018 से 30.5.2023 तक की विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु किसी प्रकार की कोई प्रार्थना पत्र नही की है। अपील अवधि बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। अपील प्रस्तुत करने में किस वजह से देरी हुई, इसका उल्लेख भी प्रार्थना पत्र में नही किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 को पारित किया गया है एवं यह अपील उसके 5 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जिससे आवश्यक कागजात तैयार करवाने में अवधि व्यतीत होने का प्रार्थीगण का कथन माना जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं तद्नुसार मूल अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 155/2 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 157 रकबा 0.08 बीघा भूमि के खातेदार एवं ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के खसरा संख्या 156 रकबा 0.10 बीघा के संयुक्त खातेदार श्रीमती रसालकुंवर पत्नी मोतीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में मृतक खातेदार रसालकुंवर पत्नी मोतीसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– केराल के दर्ज हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के [illegible] द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 342 दायर किया गया, [illegible]सीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 18.5.2018 को स्वीकृत किया [illegible] ग्राम केराल, पटवार हल्का रोवाडा के इस स्वीकृत [illegible] दिनांक 18.5.2018 को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:17 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधियिम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील इस न्यायालय दिनांक 05.6.2023 को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई एवं अपील देरी से प्रस्तुत करने के क्या कारण रहे है? के संबंध में कोई उल्लेख नही किया है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण अंकित किया है वह संतोषप्रद नही है। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी भंवरकुंवर द्वारा सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज के न्यायालय में प्रार्थीगण व अन्य के विरुद्ध खातेदारी विभाजन व घोषणा का एक वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थीगण भी पक्षकार थे। उक्त वाद के साथ प्रत्यर्थी भंवर कुंवर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत दिनांक 27.2.2019 को प्रार्थीगण व अन्य के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था एवं उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 (प्रार्थीगण) की ओर से सहायक कलेक्टर, शिवगंज के न्यायालय में में जवाब प्रस्तुत किया था, उसमें श्रीमती रसालकुंवर द्वारा निष्पादित उक्त पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 09.6.2005 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, प्रार्थीगण को सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज के न्यायालय में खातेदारी विभाजन व घोषणा का अप्रार्थी भंवरकुंवर द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद के सम्मन/नोटिस की तामिल हो जाने की तिथि को ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 18.5.2018 के संबंध में जानकारी हो गई थी, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा तत्समय जानकारी तिथि के अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत नही करके 4 वर्ष के विलम्ब के बाद इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थीगण ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में इस विलम्ब की अवधि के संबंध में युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध प्रत्यर्थीगण मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:17 IST
Reason: SelfAttested